भारत सरकार
आयुष मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 779
29 नवम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
आयुष स्वास्थ्य केंद्र

779. श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश विशेषकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थापित/प्रस्तावित/कार्यशील आयुष स्वास्थ्य केंद्रों और उनकी प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित आयुष केंद्रों के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है;
(ग) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ में सभी प्रस्तावित आयुष केंद्रों की स्थापना हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में जिला स्तर पर आयुष केंद्रों के विकास के लिए जिला-वार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(ङ) क्या सरकार ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आयुष स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की है;और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क)**:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के विस्तृत कार्य क्षेत्र के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य सरकारों के माध्यम से आयुष्मान भारत के तहत 12,500 आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) [जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) नाम दिया गया है] को वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक चरणबद्ध तरीके से संचालित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसे अब वर्ष 2024-25 तक बढ़ा दिया गया है। आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की मुख्य विशेषताएं **संलग्नक-I** में दी गई हैं। एनएएम के तहत, राज्य/ संघ राज्य सरकारों से उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों की कुल 12,500 इकाइयों को मंजूरी दी गई है जिन्हें राजस्थान और छत्तीसगढ़ को शामिल करते हुए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के रूप में अपग्रेड किया जाना है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, अब तक 12250 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) क्रियाशील बनाए जा चुके हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित अनुमोदित और क्रियाशील आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार वर्षवार स्थिति **संलग्नक II** में दी गई है।

(ख)**:** राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों से उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के संचालन हेतु क्रमशः 46473.69 लाख रुपये और 7803.25 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

(ग): छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, आयुष मंत्रालय ने 400 आयुष औषधालयों का आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के रूप में उन्नयन किए जाने की मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सभी 400 एएएम (आयुष) क्रियाशील हैं।

(घ): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, राजस्थान राज्य में जिला स्तर पर आयुष केंद्रों का विकास संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, एनएएम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नए 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके नए 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए पात्र वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। राजस्थान राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, भीलवाड़ा, अजमेर, चूरू, बीकानेर, जयपुर, सीकर, सवाईमाधोपुर और भरतपुर जिलों में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों को मंजूरी दी गई है।

(ङ) से (च): राजस्थान राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, भीलवाड़ा जिले में आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) की 98 इकाइयां अनुमोदित की गई हैं और राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सभी 98 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) क्रियाशील हैं।

*****

संलग्नक-I

आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों (एएचडब्ल्यूसी) की मुख्य विशेषताएं

पृष्ठभूमि:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के विस्तृत कार्य क्षेत्र के तहत और केंद्र प्रायोजित योजना मोड में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से 12,500 आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों को संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

विजन

• आयुष सिद्धांतों और पद्धतियों पर आधारित एक समग्र आरोग्य मॉडल स्थापित करना।

उद्देश्य

• समूह आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके आयुष के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना

• मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों के साथ एकीकरण स्थापित करके निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक और पुनर्वास स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए आयुष सिद्धांतों और पद्धतियों पर आधारित एक समग्र आरोग्य मॉडल स्थापित करना

• आयुष सेवाएं उपलब्ध कराकर जरूरतमंद लोगों को सूचित विकल्प प्रदान करना।

कार्यान्वयन की रणनीति

आयुष मंत्रालय को आयुष्मान भारत के तहत 12,500 स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र विकसित करने का कार्य दिया गया है। इसे राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाएगा। इसका वित्तपोषण राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से किया जाएगा।

आयुष मंत्रालय ने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों के रूप में उन्नयन के लिए निम्नलिखित दो मॉडल प्रस्तावित किए हैं:

i. आयुष औषधालयों का उन्नयन

ii. मौजूदा उप स्वास्थ्य केंद्रों (एससी) का उन्नयन

उपर्युक्त दोनों मॉडलों के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से वित्तपोषण किया जाएगा। आयुष औषधालयों के उन्नयन और संचालन करने का उत्तरदायित्व आयुष विभाग पर होगा। उन्नत किए गए उप स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन राज्य स्वास्थ्य विभागों द्वारा किया जाएगा और इस मामले में निधि का प्रवाह राज्य आयुष सोसायटी से राज्य स्वास्थ्य सोसायटी को किया जाएगा।

संलग्नक-II

अनुमोदित और क्रियाशील आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्षवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) की संख्या			क्रियाशील आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष)			
		2021-22	2022-23	2023-24	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	0	16	0	0	126	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	13	40	0	0	36	53	0
3	असम	40	200	211	0	210	290	0
4	बिहार	66	120	0	18	65	30	0
5	छत्तीसगढ़	40	160	0	94	190	116	0
6	गोवा	31	34	26	9	25	66	0
7	गुजरात	0	100	0	214	17	134	0
8	हरियाणा	20	0	0	81	22	10	127
9	हिमाचल प्रदेश	100	500	0	240	0	500	0
10	झारखंड	167	478	0	0	249	311	185
11	कर्नाटक	70	200	0	6	194	76	0
12	केरल	150	280	180	59	136	492	0
13	मध्य प्रदेश	200	200	38	362	54	384	0
14	महाराष्ट्र	0	96	0	188	93	64	32
15	मणिपुर	12	0	0	0	14	1	0
16	मेघालय	10	0	0	0	0	22	0
17	मिजोरम	14	0	3	24	0	17	0

18	नगालैंड	0	0	0	2	28	17	0
19	ओडिशा	150	172	0	75	170	177	0
20	पंजाब	41	0	0	0	0	158	0
21	राजस्थान	500	1019	0	466	18	1535	0
22	सिक्किम	0	0	0	18	0	0	0
23	तमिलनाडु	110	400	0	0	202	400	0
24	तेलंगाना	421	0	0	0	421	0	0
25	त्रिपुरा	7	27	0	0	0	72	0
26	उत्तर प्रदेश	279	163	0	500	86	448	0
27	उत्तराखंड	230	0	0	70	124	106	0
28	पश्चिम बंगाल	171	269	0	76	188	269	0
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	6	0	0	0
30	चंडीगढ़	1	6	0	0	0	6	0
31	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
32	दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव	0	1	0	0	0	1	0
33	जम्मू एवं कश्मीर	123	125	81	139	103	206	0
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	2	2	0	5	2	0	0
36	पुदुचेरी	1	0	0	3	1	0	0